न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– श्री पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 96/2011 धारा 3 जी(5)रा0रा0अ0
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन इकाई एन0एच011 पी0आई0यू0 जयपुर (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
2. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी महवा तहसील महवा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड दिनांक 16.05.2011 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01

उपस्थिति–1. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 22.12.2021

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा के पारित अवार्ड आदेश दिनांक 16.05.2011 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच व टिप्पणी मंगवाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की लिखित बहस में दलील है कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यापक लोकहित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के भरतपुर महवा खंड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्त करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को अधिकृत किया गया था। अवाप्त की जाने वाली भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए की उपधाारा 3 के तहत सक्षम अधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों मे दिनांक 31.10.2009 एवं 1.11.2009 को अधिसूचना प्रकाशित की गई। धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23.6.2009 को जारी की गई जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था, में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 857 वाके ग्राम महवा की प्रकृति बारानी अंकित थी, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। 03 ए अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आपत्तियां के निस्तारण के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा 3 डी के अंतर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 9.4.2010 को अधिसूचना जारी की गई। सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई, उक्त अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 857 की प्रकृति बारानी अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आराजीयात के अवाप्तशुदा रकबा 350 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित कर दिया। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था। 3 डी अधिसूचना के बाद सक्षम अधिकारी को भूमि की प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित दर के आधार पर ही मुआवजा राशि निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बारानी किस्म की भूमि का मुआवजा आवासीय दर के आधार पर किया गया है, जिसको परिवर्तित करने का कोई अधिकार सक्षम प्राधिकारी को नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को गलत तरीके से फायदा पहुॅचाने के उदेश्य से विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध नोन स्पीकिंग अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित अवाप्त भूमि का अवार्ड अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राणिकरण को न तो कोई नोटिस दिया, ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के पूर्णतया विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी आधार के किस्म बारानी का आवासीय दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 16.5.2011 का वह भाग जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में 350 वर्गमीटर अवाप्त भूमि का आवासीय दर से पारित अवार्ड आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त अवाप्तशुदा संपूर्ण भूमि 350 वर्गमीटर का किस्म बारानी दर से अवार्ड का पुनः निर्धारण किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक:2074 दिनांक 07.09.2017 से अवगत कराया गया है कि एन0एच011 के भरतपुर महवा खंड के चारलेनीकरण के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को नियुक्त किया गया था। भूमि अवाप्ति प्रकिया के तहत दिनांक 23.06.2009 को भारत के राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसका दो समाचार पत्रों में दिनांक 1.10.2009 को दैनिक भास्कर में व दिनांक 31.10.2009 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिसूचना मे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 857 वाके ग्राम महवा में से 350 वर्गमीटर भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी हुई थी। उक्त अधिसूचना के वक्त राजस्व रेकार्ड में भूमि की प्रकृति बारानी दर्ज थी। भूमि अवाप्ति प्रकिया के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस की अवधि में कोई आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवाप्ति की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23.6.2008 को प्रकाशित हुई थी लेकिन इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 1.10.2009 को दैनिक भास्कर में व दिनांक 31.10.2009 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशन करवाया गया था। भूमि अवाप्ति प्रकिया के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है। यदि हितबद्धधारी मुआवजे से असंतुष्ट है तो भूमि अधिग्रहण नियमों/प्रावधानों के अनुसार संबंधित हितबद्धधारी मुआवजे के संबध में सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। उक्त अधिसूचना 3 ए के प्रकाशन की तारीख दिनांक 01.11.2009 के बाद आपत्तिकर्ता रामेश्वर प्रसाद द्वारा 21 दिवस की नियत अवधि में ही अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी उपखंड अधिकारी महवा के कार्यालय में दिनांक 18.11.2009 को पेश की गई थी। उसके बाद 3 डी अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 4.5.2010 के बाद नियत अवधि में ही दिनांक 4.5.2010 को दूसरी आपत्ति भी पेश की गई। प्राप्त आपत्तियों को दर्ज कर आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता ने भूमि रूपांतरण, नक्शा, नामान्तरण, जमाबंदी की छाया प्रतियां पेश की गई। मुताबिक जमाबंदी संवत 2064 से 2067में उक्त खसरा नंबर 857 मूल खसरा नंबर था, जिसका सहमति विभाजन हो जाने पर खसरा नंबर 857/1167 रकबा 0.07 है0 बनाया गया। उक्त खसरा नंबर की किस्म जरिये नामांतरण संख्या 260 दिनांक 9.5.2008 क द्वारा गै0मु0 आबादी दर्ज हो चुकी है। उक्त गै0मु0 आबादी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दिनांक 9.5.2008 को हो जाने से ही भूमि की किस्म परिवतित हो चुकी थी। भूमि अवाप्ति प्रकिया से पूर्व ही भूमि की किस्म आबादी ही थी। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त खसरा नंबर का मूल नं0 857 का जिसका सहमति विभाजन नया ख0नं0 857/1167 बना, जिसका रूपांतरण होकर अवाप्ति के समय अवाप्तशुदा भूमि की किस्म आबादी थी। चूंकि अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 857 नया खसरा नंबर 857/1167 में से 350 वर्गमीटर की किस्म अवाप्ति प्रकिया दिनांक 23.06.2009 से पूर्व से ही आबादी दर्ज रेकार्ड थी। उक्त सभी साक्ष्यों, सबूतों, राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्राप्त आपत्ति सही पाये जाने पर आपत्ति स्वीकार कर मुआवजा आबादी दर से निर्धारित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में दलील दी है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आपत्ति प्रा0पत्र एवं नामांतरण की प्रति, नकल जमाबंदी, संपरिवर्तन आदेश की प्रति सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निर्धारित की गई जिसके आधार पर अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति प्रकिया से पूर्व ही संपरिवर्तित भूमि थी, जिसका नियमानुसार तत्समय प्रचलित आबादी भूमि की डी.एल.सी.दर से अवार्ड पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश की गई लिखित बहस के अनुसार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यापक लोकहित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के भरतपुर महवा खंड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्त करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को प्राधिकृत किया गया था। अवाप्ति की जाने वाली भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए की उपधाारा 3 के तहत सक्षम अधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों मे दिनांक 31.10.2009 एवं 1.11.2009 को अधिसूचना प्रकाशित की गई। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया कि अर्जन की जाने वाली भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है, नियत अवधि मे आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23.6.2009 को जारी की गई जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था, में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई उनका धारा धारा 3 सी के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 857 वाके ग्राम महवा की प्रकृति गैर मुमकिन आबादी होना अंकित है, जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा द्वारा उक्त भूमि को बारानी अंकित कर अवार्ड राशि पारित की गई तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम अवार्ड आदेश दिनांक 16.5.2011 आबादी दर से गणना कर अवार्ड आदेश पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी दर से गणना कर अवार्ड राशि पारित किये जाने का आदेश विधि के अनुरूप व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप ही आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में सामूहिक रूप से सह खातेदारी की भूमि थी, परन्तु खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करने पर विभाजन का नामांतरण संख्या 90 दिनांक 03.06.2001 खोला गया जिससे उक्त खसरा नंबर 857 भूमि का खातेदार एकमात्र अप्रार्थी संख्या 2 रहा। ग्राम महवा तहसील महवा स्थित आराजी खसरा नंबर 857 की राजस्व रिकार्ड की स्थिति इस प्रकार थी कि उक्त भूमि पूर्व में बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, किन्तु तहसीलदार महवा द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 4.6.2005 के द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 857 में से 900 वर्गमीटर भूमि को आवासीय घोषित किया तथा उक्त संपरिवर्तन आदेश के साथ नक्शा भी प्रमाणित किया गया जिसकी तहसीलदार महवा द्वारा आवेदक अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर प्रसाद से निर्धारित शुल्क लिया जाकर नियमों के अनुरूप उक्त भूमि को आवासीय घोषित किया गया। ग्राम महवा के आराजी खसरा नंबर 857 के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 4.6.2005 की पालना में तहसीलदार महवा द्वारा नामांतरण संख्या 260 दिनांक 9.5.2008 को तहसीलदार महवा द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण आवासीय भूमि के रूप में खोला गया जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता संख्या 192 पर संपरिवर्तन के नामांतरण का नोट अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि संवत 2064 से 2067 में ही राजस्व रिकार्ड में आवासीय दर्ज हो चुकी थी तो बारानी हाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खसरा नंबर 857 वाके ग्राम महवा में से 350 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए अवाप्त की गई थी जिसका मालिक एवं स्वामी एकमात्र अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर ही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2009 को प्रस्तुत की गई जिसकी पुश्त पर संबंधित लिपिक की रिपोर्ट इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा/पटवारी हलका महवा से प्राप्त 3 डी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 857/1667 में किस्म आबादी अवाप्त रकबा 350 वर्गमीटर दर्शाया गया है अर्थात मुताबिक रिकार्ड के अवाप्ताधीन रकबा की किस्म आबादी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दूसरी आपत्ति दिनांक 4.5.2010 व तीसरी आपत्ति दिनांक 24.5.2010 को प्रस्तुत की गई। उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तीनों आपत्तियों को समाहित करते हुए आपत्तियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निस्तारण दिनांक 12.10.2010 को न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखंड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा अंतिम निर्णय इस प्रकार पारित किया कि आपत्तिकर्ता अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर प्रसाद द्वारा निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त खसरा नंबर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिस पर प्रार्थी काबिज है। पूर्ण अवाप्त भूमि का मुआवजा आवासीय आवासीय दर से भुगतान की मांग की है। अवाप्त भूमि का दिनांक 23.6.2010 को मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से जानकारी ली गई। खातेदार के मौखिक बयान लिये गये। प्रार्थी उक्त भूखंड का स्वयं खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि का आवायीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण होकर अमल भी हो चुका है तथा मौके पर भी उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी आवासीय दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाती है। अतः अवाप्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्रार्थी को देय होगा। इस प्रकार न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2010 को अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर प्रसाद की समस्त आपत्तियों को दर्ज कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर आवासीय दर से भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 12.10.2010 की पालना में अवाप्त भूमि का अवार्ड आदेश कमांकः 478 दिनांक 16.5.2011 में ग्राम महवा के खसरा नंबर 857 का संशोधित अवार्ड कम संख्या 01 पर रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद माली खसरा नंबर 857 आबादी 350 वर्गमीटर निजी दर 3387 अवाप्त भूमि का कुल मुआवजा 12,88,595/– रूपये जारी की गई जिसको अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति माली प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त मध्यस्थ प्रार्थना पत्र बिना आधारों के कानून के विपरीत गैर कानूनी तरीके से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। उक्त मध्यस्थ प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष चलने योग्य नहीं है। क्योंकि जब एन.एच.11 द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संपूर्ण जांच कर गवाह बयान लेकर आपत्ति लेकर अपना निर्णय पारित कर दिया गया तो उसके पश्चात एन0एच011 द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार शेष नहीं रहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त मध्यथ प्रार्थना पनत्र अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं किया जाकर मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये मध्यस्थ प्राथ्रना पत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2011 के अनुसार मियाद बाहर चलने योग्य नहीं माना है। न्यायिक दृष्टान्त यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.एस.दीपक इलैक्ट्रिक एंड ट्रेडिग कंपनी वगै0 2012(1) आर0एल0डब्ल्यू0 962 एस सी के निर्णय में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ अधिनियम 1940 की धारा 30 सपठित परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 119अवार्ड के विरूद्ध आपत्तियां दायर करने हेतु परिसीमा अभिनिर्धारित न्यायालय में अवार्ड दायर करने के नोटिस की तामील की तिथि से परिसीमा आरंभ होती है। परिसीमा अवधि अवार्ड के दायर करने की जानकारी की तिथि से आरंभ नहीं होती है। यह दृष्टिकोण है कि जानकारी की तिथि से 30 दिवस के परे आपत्तियां कालवर्जित है, अनुचित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया मध्यस्थ प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी का अवार्ड आदेश दिनांक 16.5.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर प्रसाद माली को अवार्ड राशि 12,88,595/– रूपये मय ब्याज के अदा किये जावें।

हमने उभय पक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 7.9.2017 से ज्ञात होता है कि ग्राम महवा स्थित भूमि ख0नं0 857 में से 350 वर्गमीटर भूमि खातेदार रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद माली निवासी महवा की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई थी। 3 ए एवं 3 डी की अधिसूचना में भूमि की किस्म बारानी अंकित है, किन्तु प्रार्थी द्वारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 1.11.2009 के प्रकाशन के बाद 21 दिन की नियत अवधि में दिनांक 18.11.2009 को पेश की गई। उसके बाद 3 डी की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 4.5.2010 के बाद नियत अवधि में ही दिनांक 4.5.2010 को दूसरी आपत्ति भी पेश की गई थी। आपत्तिकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान भूमि रूपांतरण आदेश, नक्शा, नामांतरण, जमाबंदी की प्रतियां पेश की गई। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार महवा द्वारा जारी रूपांतरण आदेश क्रमांक:596–98 दिनांक 4.6.2005 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार महवा द्वारा रूपांतरण आदेश के द्वारा ग्राम महवा के खसरा नंबर 855/3 एवं एवं 857/1 में से 900 वर्गमीटर भूमि का रूपांतरण किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 ग्राम महवा का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार नामां0संख्या 260 दिनांक 9.5.2008 संपरिवर्तन से ख0न0 855/1166 रकबा 0.02 है एवं ख.नं.857/1167 रकबा 0.07 है0 भूमि संपरिवर्तन आवासीय आबादी स्वीकार हुआ है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति प्रकिया से पूर्व से ही आवासीय रूपांतरित होकर जमाबंदी में अमल हो चुका था। खसरा नंबर 857 का रकबा 0.07है0 है जिसका संपूर्ण रकबे का रूपांतरण तहसीलदार महवा द्वारा किया जा चुका था तो अधिसूचना में भूमि की किस्म बारानी का अंकन किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। 3 ए व 3 डी की अधिसूचना के बाद आपत्तिकर्ता द्वारा नियत समयावधि में भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को आपत्ति प्रस्तुत की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा आपत्ति पर नियमानुसार सुनवाई कर साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर एवं रूपांतरण आदेश का अवलोकन कर नियमानुसार आपत्तिकर्ता की भूमि खसरा नंबर 857 में से 350 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर से अवार्ड पारित किया गया है। खातेदार द्वारा आपत्ति के साथ संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा आवासीय दर से अवार्ड पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवार्ड विधिवत रूप से खातेदार की आपत्ति के निस्तारण के बाद जारी किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड दिनांक 16.05.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा